POST GRADUATE ENGINEERING ADMISSION COUNSELLING-2018
(PGEAC – 2018)

FOR

Admission to M. Tech. (Machine Design) & M. Tech. (Thermal Engineering) Course in
M.I.T. (Muzaffarpur Institute of Technology), Muzaffarpur

PROSPECTUS
विवरण पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र – 2018

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद
पटना

Visit our Website: bceceboard.bihar.gov.in

PGEAC-2018 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

क्रम संख्या	विवरण	कंडिका	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय ।	-	-
2.	संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार–सीमा प्रारम्भ।	1	1
3.	संस्थान ।	2	1
4.	संस्थान / पाठ्यक्रम में आरक्षण कोटिवार उपलब्ध सीटें।	3	1-2
5.	आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति ।	4	2
6.	अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताएँ / अर्हतायें ।	5	3
7.	PGEAC-2018 के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया ।	6	3
8.	**Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :**	7	4
9.	कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ ।	8	5
10.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ ।	9	5-6

****

पोस्ट ग्रेज्यूएट इंजीनियरिंग एडमिशन कॉउन्सेलिंग-2018

(Post Graduate Engineering Admission Counselling-2018

विवरण पुस्तिका

परिचय :

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के अधीन संचालित मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलौजी, मुजफ्फरपुर (एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर) में उपलब्ध पोस्ट ग्रैज्यूएट इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों (Post Graduate Engineering Courses) यथा M. Tech. (Machine Design) एवं M. Tech. (Thermal Engineering) में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की कॉउन्सेलिंग / चयन / मनोनय GATE Qualified अभ्यर्थियों से, GATE SCORE के मेधा क्रमानुसार योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर भरा जायेगा । जिसे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा ऑन-लाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कॉउन्सेलिंग आयोजित कर, पूर्ण किया जायेगा ।

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ :

(i) यह विवरण पुस्तिका ''PGEAC-2018 की विवरण पुस्तिका'' के नाम से जानी जायेगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरन्त लागू होगी ।

1.1 परिभाषायें :

(i) ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्राय है स्नातक स्तर के M. Tech. (Machine Design) एवं M. Tech. (Thermal Engineering) पाठ्यक्रम ।

(ii) ''कॉउन्सेलिंग'' से अभिप्राय है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित कॉउन्सेलिंग अन्तर्वीक्षा (Interview), मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच एवं GATE SCORE के अनुसार चयन / मनोनयन की प्रक्रिया ।

(iii) ''पर्षद'' से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ।

(iv) ''सरकार'' से अभिप्राय है बिहार सरकार ।

(v) ''परीक्षा नियंत्रक'' से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ।

(vi) ''बिहार'' से अभिप्राय है पुनर्गठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है।

2. संस्थान :

संस्थान से अभिप्राय है मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलौजी, मुजफ्फरपुर (एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर)। इस संस्थान में उपलब्ध स्नातकोत्तर अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में नामांकन विषय परिवर्त्तन से सम्बन्धित मामलों पर पर्षद द्वारा निर्णय, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार लिया जायेगा । पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा । इसके बाद पाठ्यक्रम परिवर्त्तन सम्बन्धी किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

3. संस्थान / पाठ्यक्रम में आरक्षण कोटिवार उपलब्ध सीटें :

Sl. No.	Institution /College	Name of the Course	Total seats	Gen-eral	SC	ST	EBC	BC	RCG
1.	M.I.T., Muzaffarpur	M. Tech. (Machine Design)	18	9	3	0	3	2	1
2.	M.I.T., Muzaffarpur	(M. Tech.(Thermal Engg.)	18	9	3	0	3	2	1

नोट : उपर अंकित कोटिवार कर्णांकित सीटों में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार अगर कोई परिवर्त्तन वांछनीय होगा तो उसे कॉउनसेलिंग के समय अभ्यर्थियों के सूचनार्थ उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

4. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

4.1 PGEAC-2018 की मेधा-सूची (Rank list) के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं आरक्षण लाभ के लिए PGEAC-2018 के PGEAC-2018 आवेदन के निर्दिष्ट स्थान पर उसी आरक्षण कोटि को भरें जिसके लिए आपको विधिवत् जाति प्रमाण प्राप्त हो ।

PGEAC-2018 के अनुसार नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए कॉउन्सेलिंग निमित Online आवेदन Submit करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा ।

4.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त हो, उनके लिये आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिए उपलब्ध सीटों का व्योरा, उपर कंडिका–3 में दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं:–

क्रम	**कोटि**		**आरक्षित सीटों का प्रतिशत**
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	–	**16 %**
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	–	**1 %**
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	–	**18 %**
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	–	**12 %**
5.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	–	**3 %**

शेष **50 %** अनारक्षित सीटें Open Merit (Unreserved) की होगी ।

4.3 जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटियों के लिये कर्णांकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।

4.4 PGEAC-2018 **की** मेधा–सूची (Rank list) में अंकित कोटि एवं बिहार सरकार द्वारा तद्नुसार निर्गत SC/ST/EBC/BC की सूची जो कॉउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू की गयी तथा जिसके लिए विधिवत जाति प्रमाण पत्र आवेदक को प्राप्त हो, उसी के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) मान्य होगा ।

PGEAC-2018 के आवेदक जिस आरक्षण कोटि को online आवेदन में भरेंगे वही आरक्षण कोटि नामांकन हेतु चयन के लिए मान्य होगा । Online आवेदन में अपने आरक्षण कोटि की प्रविष्टि सही–सही करें, अन्यथा इसमें किसी भूल या त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

4.5 **(i)** आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य कोटि की मेधासूची में स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें सामान्य कोटि (Open Merit) में मनोनुकूल पाठ्यक्रय प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपनी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेधाक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा ।

(ii) इस संदर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा–निर्देश जारी करता है तो उसे विचारोपरान्त अद्यतन रुप से लागू किया जा सकता है।

4.6 दिव्यांग कोटा (Disabled Quota / Dibyang Quota i.e. DQ) **के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :**

4.6.1 विव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की 5 (पाँच) प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी ।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार की प्रक्रिया आरम्भ जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में हेतु चयन आरक्षण–प्रावधान लागू होगा।

4.6.2 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी PGEAC-2018 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए अपने ऑन लाईन आवेदन में निर्धारित स्थान पर DQ (Dibyang Quota) अंकित करें

दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये । इस प्रमाण पत्र में दिव्यांगता का स्वरूप, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता के स्थायी होने अथवा दिव्यांगता के घटने–बढ़ने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र (DQ Certificate) कब तक के लिये मान्य है की अवधि / तिथि का उल्लेख होना चाहिए ।

4.6.3 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा–सह–विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक तभी पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जबकि स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी । डॉक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरी जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा ।

5. अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताऐं / अर्हताऐं :-

5.1 शैक्षणिक :

(i) जिन आवेदकों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान(AICTE)से B.E. / B.Tech. की परीक्षाMechanical Engineering / Automobile Engineering / Manufacturing Engineering / Production Engineering अथवा Industrial Engineering की परीक्षा कम से कम 50% कुल अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए । किन्तु अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए कम से कम 45% अंकों के साथ, उपर अंकित किसी ब्रांच में B.E. / B. Tech. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । अगर कोई अभ्यर्थी अपनी उत्तीर्णता के सम्बन्ध में Equivalency का दावा करते हों तो कॉउन्सेलिंग के समय सक्षम प्राधिकार (Competent Authority) से इस निमित्त प्रमाण पत्र पेश करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

(ii) उपरोक्त प्रावधान AICTE (All india Council of Technical Education) के निर्णयानुसार संशोधित / परिमार्जित की जा सकती है ।

(iii) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्र के अनुसार भविष्य में अगर कोई निर्देश दिया जाता है तो उद्नुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी ।

5.2 आयु सीमा :

M. Tech. (Machine Design) एवं M. Tech. (Thermal Engineering) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन के लिए अभ्यर्थी / आवेदक की न्यूनतम आयु–सीमा निर्धारित नहीं है।

5.3 शारीरिक :

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये चयनित अभ्यर्थियों की डाक्टरी जाँच होगी । जाँच में योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को नामांकन हेतु चयन किया जायेगा । इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा ।

5.4 आवासीय अर्हता :

केवल वे ही आवेदक PGEAC-2018 के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

I. जिनके माता–पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं।

अथवा

II. जिनके माता–पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी हैं।

अथवा

III. जिनके माता–पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं ।

अथवा

IV. जिनके माता–पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।

अथवा

V. जिनके माता–पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों के कर्मचारी हैं।

अथवा

VII. जिनके माता–पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

6. PGEAC-2018 के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया :

i. नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया दो Phase में कॉउन्सेलिंग के आधार पर की जायेगी ।

ii. पहले Phase में चयन हेतु जो अभ्यर्थी GATE Qualified हैं और जिन्होंने निर्धारित कुल प्रतिशत के साथ वांछित विषयों में B.E. / B. Tech. उत्तीर्ण कर लिया है उनकी GATE SCORE के अनुसार कोटिवार मेधासूची बनायी जायेगी और इसी मेधासूची क्रम से अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी की जायेगी ।

iii. अगर GATE Qualified अभ्यर्थियों की कॉउन्सेलिंग में चयन के बाद भी अगर कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं तब वांछित विषयों में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक को लक्षित कर दूसरे Phase में चयन हेतु मेधासूची तैयार की जायेगी। कोटिवार ऐसे मेधासूची से ही Eligible अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा ।

iv. इस चयन प्रक्रिया में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जो भी निर्णय परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लेगा वह सर्वमान्य होगा।

v. **PGEAC-2018 हेतु Online आवेदन की अनिवार्यता :**

उपर वर्णित कंडिका-5 एवं 6(i) से 6(iv) तक के अनुसार योग्य (Eligible) आवेदकों / अभ्यर्थियों के लिए Online आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे कंडिका-7 में दी गयी है । जो अभ्यर्थी PGEAC-2018 के लिए Online आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे वे PGEAC-2018 से सम्बन्धित किसी भी कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे और इस सम्बन्ध में बाद में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7. Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :

PGEAC-2018 में सम्मिलित होने के लिए विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website : bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं ।

PGEAC-2018 में सम्मिलित होने के लिए योग्यता प्राप्त (Eligible) अभ्यर्थी उपरोक्त website के 'Apply for PGEAC-2018' के Link पर Click करें । इसके साथ ही Online आवेदन हेतु screen पर दिये गये निर्देशों (Instructions) को अच्छी तरह पढ लें ।

I. **Step-One - Registration :** For registering, the candidate is required to fill the information asked in Step-One of the application form, appearing on the computer screen. Candidate while registering, must see that he / she is giving his / her own email_id and mobile no., because all informations concerning registration will be sent on the same email_id and mobile no. Also the candidate will receive a SMS. The received email and SMS will contain an "**ACTIVATION CODE**" which is to be used by the candidate to activate his account. The candidate should click "**Activate Your Account**" Button and enter the email_ID and received Activation code to activate his / her account. There after click the "**Submit**" button. After activating the account the candidate should click the "**Sign in**" button and enter the email_ID and password to proceed further. The candidate must keep the password entered in Application Form confidential, otherwise BCECE Board will not be responsible for any complication. The email_ID given by the candidate will be his user name.

II. **Step-two - (Personal Information) :** After successful registration and activating the account, the candidate should again "**Sign in**" to his account and thereafter complete the required entries regarding personal information on the computer screen. Then click on "**Save & Continue**" button.

III. **Step-Three - (Upload Photo and Signature) :** After entering the personal information the candidate should upload his / her passport size photograph of high contrast (Photo must be snapped with placard containing candidate's name and snapping date), and full signature in Hindi and English (Not in capital letter) after duly scanning the same. After uploading photo and signature click on "**Save & Continue**" button.

IV. **Step-Four - (Educational Information) :** After uploading the scanned photo and signature the candidate should enter his / her educational information on the computer screen and click on "**Save & Continue**" button.

V. **Step - Five (Preview your application) :** After entering educational information the candidate must verify all the information given by him/her while verifying given information in step-2, step-3 and step-4. If any information is found wrong, then the candidate should click "**Back to Edit**" button and make required corrections. Thereafter the candidate should click "**Save & Continue"** button so that entered information should be updated.

If preview of application form is found to be correct, then the candidate give his / her Declaration and click the "**Confirm & Submit**" button so that he / she should pay Examination Fee as per Step-Six.

VI. **Step - Six (Payment of Counselling Fee) :** After preview of the Application Form and submitting the same, the candidate should click "**Proceed to Payment**" button and complete the payment procedure according to instructions appeared on the computer screen regarding payment of Counselling Fee. Paid Counselling Fee will not to be refunded. There are following two modes for payment of Counselling Fee.

a. **Payment by Bank Challan :** If the candidate wants to Pay Counselling Fee through Bank Challan, he / she should select offline / NEFT Challan option from Payment mode appearing on computer screen and download the Challan and get the print and visiting any Bank upto scheduled last date, the Counselling Fee may be paid through NEFT mode. This procedure for updating will take atleast one hour. If the payment is not updated, then the candidate should wait for atleast 24 hours. If even then the payment is not get updated then the candidate should contact BCECEB office before the scheduled date. The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through Challan mode.

b. **Online Payment :** If the candidate wants to pay Counselling Fee through Online mode e.g. Credit Card / Debit Card / Net banking, he / she should select online option from payment mode appearing on the computer screen and "**Make the Payment**" should be made through Credit Card / Debit Card / Net banking. The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through online mode

c. **Counselling Fee :** Counselling fee to be paid through above modes is Rs. 2200/- (Two Thousand Two Hundred) only for all categories i.e. (Unreserved / SC / ST / EBC / BC / DQ) candidates.

VII. **Step - Seven (Download part- A & Part-B) :** After payment of Counselling Fee upto scheduled date and time, the candidate must download Hard Copy (Part-A & and Part-B) of online submitted Application Form and keep the same safely in his possession because it contains all informations provided by the candidate and the PGMEAC-ID made available by the Board for further use

during counselling.

Note : a. Hard copy of PART-A & PART-B need not to be sent to the Board's office, but instead this is to be made available at the time of counselling.

b. After completing the above procedure and finally submitting the online application form, there is no provision for any change or modification in the same.

c. The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn nor any request, for refunding the paid counselling fee, will be entertained.

d. Board will not be responsible for any interruption in Internet / Postal / Banking system. Therefore the candidates must not wait till the dates but complete all the procedure before due date.

e. On the basis of merit and availability of seat, the Counselling programme will be published on the Board's Website on **28.07.2018 (8.00 P.M.)**.

f. No other chance will be given to any candidate for submitting online application after due date for online submission of application.

4. (i) After online submission of application, if the applicant finds that while filling up such application the error regarding any entries / photo / signature uploding has / have been made, then he/ she will have opportunity to Edit / Rectify the same on **26.07.2018 (11.59 p.m.)**.

(ii) The above mentioned editing / rectification / correction opportunity will be available for only those candidates, who have online filled in application form completely within the specified period.

(iii) For making rectification / correction / edition in online submitted application, the application is required to enter his Registration no. & Password and click "**Sign in**" button for getting his account to login whereby the editing process can be carried out.

5. **Important dates for PGEAC-2018 :**

(i) Online Registration starting date .... : 17.07.2018

(ii) Online Registration closing date .... : 24.07.2018 (11.59 P.M.)

(iii) Last date of payment through challan .... : .25.07.2018 (upto working hours of the bank)

(iv) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card with final submission of the online Application Form of Registered candidate .... : .25.07.2018(11.59 P.M.)

(v) Online Editing of Application Form .... : 26.07.2018 (11.59 P.M.)

(vi) Publication of Counselling Programme .... : 28.07.2018 (8.00 P.M.)

(vii) Proposed date of Counselling .... : 30.07.2018

8. कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें :

8.1 **(क)** जो आवेदक अपने ऑन लाइन आवेदन / कॉउन्सेलिंग के समय / नामांकन हेतु चयन की किसी भी प्रक्रिया में अगर अनुचित तरीके अपनाने के दोषी पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नामांकन की प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा । ऐसे निष्काषित अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है ।

8.1 **(ख)** एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर में उपलब्ध M. Tech. (Machine Design) एवं M. Tech. (Thermal Engineering) पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु चयन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार ही कॉउन्सेलिंग की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

8.2 PGEAC-2018 के आधार पर मेधा-सूची (Rank list) तैयार करने में यदि किसी प्रकार की भूल / गलती का पता चलने पर नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

8.3 प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों की जाँच के बाद अन्तिम रूप से योग्य पाये जाने पर मेधा-सह-विकल्प के आधार पर निर्धारित तिथि/ समय पर कॉउन्सेलिंग के क्रम में पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा ।

8.4 PGEAC-2018 के आधार पर नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए AICTE के प्रावधान जो विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश में संसूचित किया जायेगा उसी प्रावधान को नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया में लागू किया जायेगा ।

8.5 PGEAC-2018 से सम्बन्धित सूचना विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना / सूचनाऐं या पर्षद की वेबसाइट पर दी गयी सूचना/ सूचनाऐं, इसी विवरण पुस्तिका के अंश होंगे।

9. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

9.1 PGEAC-2018 की मेधासूची के आधार पर कॉउन्सेलिंग का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा । पर्षद् द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे ।

9.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें ।

9.3 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन/ परिवर्त्तन होगा या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को उनके साक्षात्कार

के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा ।

9.4 समय–समय पर Website के माध्यम से PGEAC-2018 की कॉउन्सेलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना / सूचनायें दी जाती रहेंगी । उत्सुकतावश बार–बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा ।

9.5 PGEAC-2018 हेतु निर्गत इस विवरण पुस्तिका/ आवेदन प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है ।

9.6 PGEAC-2018 के लिए किसी आवेदक की उम्मीदवारी अगर रद्द की जाती है तो इसे सम्बन्धित आवेदक को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

9.7 PGEAC-2018 की मेधा–सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्चे से स्वयं कॉउन्सेलिंग / साक्षात्काल में, प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों / योग्यता एवं पहचान की जाँच हेतु सुनिश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं बनेगा।

9.8 PGEAC-2018 की मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों के साथ स्वयं केवल उपस्थित होने से ही नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं बनेगा ।

9.9 अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी को PGEAC-2018 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् इसका पता चलता है तो वह मेधासूची में सम्मिलित होने के बाद भी नामांकन हेतु चयन या नामांकन का दावा नहीं कर सकेगा ।

9.10 अगर इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन हेतु आवंटनादेश निर्गत नहीं किया जायेगा ।

9.11 नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद, नामांकन घोषित तिथि समाप्त होने पर किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर भरी नहीं जा सकेंगी।

9.12 PGEAC-2018 के संचालन तथा इससे सम्बन्धित / आवेदन से सम्बन्धित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों में दायर किये जायेंगे सिर्फ वही मान्य होंगे ।

,,,,,,,,,,